


न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस
राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 113 / 2022 / बाड़मेर
अपीलांत

बनाग	रेसपोडेंटगण
1. नीम्बाराम पुत्र पुरखाराम	1. हिमथाराम पुत्र पीराराम
2. सामाराम पुत्र पुरखाराम	2. हरखाराम पुत्र पीराराम
3. सिमरथाराम पुत्र पुरखाराम	3. गेनाराम पुत्र पीराराम
4. जेठाराम पुत्र जैसाराम	4. धूडाराम पुत्र पीराराम
5. भूरी पत्नी गुलाराम जाति जाट निवासी सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	5. खींयाराम पुत्र रामाराम
	6. रूपाराम पुत्र रामाराम
	7. केसरी पत्नी रामाराम
	8. शेरु पत्नी लाखाराम
	9. हेमाराम पुत्र लिछमणाराम जातियान जाट निवासीयान सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
	10. मिरगों पत्नी खूमाराम
	11. अनू पत्नी खेताराम जातियान जाट निवासी सारणों की नाडी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर निवासी जाखड़ों की ढाणी, सावां तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
	12. किशनाराम पुत्र जुगताराम
	13. गवरी पत्नी हरजीराम
	14. चूनाराम पुत्र अमराराम
	15. तगाराम पुत्र हरजीराम
	16. नरसिंगाराम पुत्र जुगताराम
	17. पनाराम पुत्र जुगताराम
	18. रूपाराम पुत्र अमराराम
	19. वरजू पत्नी अमराराम
	20. हरखू पत्नी जुगताराम
	21. उम्मेदाराम पुत्र जुगताराम
	22. केसाराम पुत्र अमराराम जातियान जाट निवासीयान सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर
	23. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा सेड़वा
	24. शाखा प्रबन्धक बी सी सी बी शाखा सेड़वा
	25. तहसीलदार सेड़वा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या
102/2022 बअनवान हिमथाराम बनाम किशनाराम में पारित आदेश
दिनांक 25.07.2022 के विरुद्ध पेश हुई ।

उपस्थित


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोजेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:-21.07.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरदाता संख्या 01 से 11 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 109 रकबा 07.5757 हैक्टयर मौजा सारला में अवस्थित है जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 110 रकबा 5.1881 हैक्टयर मौजा सारला के बीचों बीच विद्यमान डामर सड़क है। इसके अलावा प्रार्थीगण की जोत में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते हैं जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। इसलिए रास्ते के रूप में प्रयुक्त भूमि को राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश से जिस स्थान पर रास्ता प्रस्तावित किया गया उस स्थान पर पूर्व में कभी भी रास्ता नहीं था। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट तलब की गई जो स्वयं ने मौके पर जाये बिना हल्का पटवारी एवं आर आई ने बिना अपीलांटस को सूचित किये एवं मौके पर न जाकर पटवार हल्का में बैठ कर उत्तरदाता से सांठ-गांठ कर मौका रिपोर्ट बना कर प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोजेण्टगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Jain
राजस्थान अपील प्राधिकारी
वाइमेर

इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अपीलकर्ता की खातेदारी खेत खसरा संख्या 110 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में ही धारा 53, 88, 188 का वाद विचाराधीन है एवं उक्त वाद में भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रखा है। जब तक यह वाद विचाराधीन है तब तक उसी खसरे के संबंध में नया आदेश पारित किया जाना पूर्णतया विधि विरुद्ध है इतना ही नहीं, जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब उक्त वाद में पक्षकारों के हिस्से अनुसार व ढाणियों के अनुसार बंटवाडा किया जायेगा तो उस समय की स्थिति एवं वर्तमान स्थिति में भारी गिन्नता रहेगी। जिससे अपीलकर्ता को भारी क्षति होगी। अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.07.2022 को केवल जबाव दावा प्रस्तुत कर बहस हेतु अवसर चाहा गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित पूर्णतया विधि अनुसार दूषित हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।


रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष के नाम से सम्मन जारी किये गये जिस पर अपीलांटगण की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोंडेण्ट्स/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोंडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोंडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 28.


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

06.2022 के संलग्न नक्शे में प्रदर्शित रास्ता प्रस्तावित किया गया जो "प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार का कीमती पेड़, मकान आदि नहीं है। वर्तमान में रास्ते हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम एवं सुगम वैकल्पिक अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। उसके उपरांत भी हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोंडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोंडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महारूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। रेस्पोंडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितान्त विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोंडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 102/2022 बअनवान हिमथाराम बनाम किशनाराम में पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 को यथावत रखा जाता है।


(प्रतिष्ठापितानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर